

मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 24.11.2023

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों को सुनायी गयी ₹ 800-800/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह , विवेचक-उपनिरीक्षक विकास सिंह , पैरोकार- आरक्षी प्रदीप कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी सुनील कृष्ण द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा० न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी.(महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध) मीरजापुर- रुचि भाटी द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-52/1992 धारा 498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त-अंजेश पुत्र रामललित सिंह व अभियुक्ता-दुलारी देवी पत्नी रामललित सिंह निवासी गण मौजा लोढ़वा थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 800-800/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।